ज़ुलहिज्ज़ा के दस दिनों की फज़ीलत और उस के अहकाम

[हिन्दी – Hindi – هندي]

हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

अनुवादः अज़ीज़ुर्रहमान उसमानी

संशोधनः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1434

IslamHouse.com

فضل العشر من ذي الحجة وما يشرع فيها

« باللغة الهندية »

حافظ صلاح الدين يوسف

ترجمة: عزيز الرحمن عثماني

مراجعة وتصحيح: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1434

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

ज़ुलहिज्ज़ा के दस दिनों की फज़ीलत और उस के अहकाम व मसाइल

वास्तव में बहुत ही ख़ेदजनक बात है कि मुसलमानों में वे सारे कार्य और विचारधाराएं बहुत ही शीघ्र प्रचलित और प्रसिद्ध हो जाती हैं जो स्वयं मनुष्य की मनगढ़न्त बातें होती हैं, और जिनको शरीअत की शब्दावली में ,,बिदअत,, से नामित किया जाता है। परन्तु जिन कार्य और विचारों की कुरआन व हदीस में निशानदही की गई है उनका मुसलमानों को सिरे से ज्ञान ही नहीं होता है, उन पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है। जिस प्रकार ''मुहर्रम के दस दिनों'' के बारे में अवाम के दिमाग में जो बिद्अतें और गलत कल्पनायें बैठी हुई हैं उनका शरिअत में कोई आधार नहीं है, बल्कि इन सारी खुराफ़ात एवं बिदआत को एक खुदसाख़्ता धर्म के मानने वालों ने सामान्य लोगों के बीच प्रचलित कर दिया है, और जो अपने विशेष विचारों और मान्यताओं (अक़ाइद) के प्रचार के लिए इन दिनों को विशिष्ट कर कुछ रीतियों व रिवाजों और कार्यो को इन दिनों में अंजाम देने को पुण्य का काम बताते हैं।

दुर्भाग्य से अह्ले–सुन्नत के गवाँर अवाम के बीच शीयों के ये विचार प्रचलित हो गऐ हैं, और उन में एक वर्ग ऐसा है जो मुहर्रम के महीने के दस दिनों के बारे में शीयों के इन विचारों का पालन करनेवाला है। हालांकि मुहर्रम के दस दिनों के बारे में कोई विशेष आदेश नहीं बयान किया गया है, अलबत्ता मुहर्रम के दसवें दिन का रोज़ा रख़ना हदीस से साबित है, तथा उसके साथ 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिलाना मुसतहब़ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी इच्छा प्रकट की थी ।

जुलहिज्जा के महीने को यह प्रतिष्ठा प्राप्त है कि इस महीने में इस्लाम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हज्ज़ को अदा किया जाता है, इसी प्रकार मुसलमानों का एक महान धार्मिक त्योहार – ईदुल–अज़हा – इसी महीने की दस तारीख़ को मनाया जाता है। शायद यही कारण है कि इस महीने के पहले दस दिनों की कुरआन व हदीस में बहुत फ़ज़ीलत वर्णित है, तथा अल्लाह तआला ने सूरतुल फज्र में जिन दस रातों की क़सम ख़ाई है, उनसे जमहूर मुफ़स्सिरीन ने ज़ुलहिज़्ज़ा की दस रातों को मुराद लिया है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿ وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر:١--٢]

''क़सम है फज्र की और दस रातों की।'' (सूरतुल–फज्र : 1–2) इससे ज़ुलहिज़्ज़ा के दस दिनों की फ़ज़ीलत साबित होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सामान्य लोग इन दिनों की फज़ीलत और श्रेष्ठता से अनभिज्ञ हैं।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में ज़ुलहिज़्ज़ा के दस दिनों की जो फ़ज़ीलत वर्णित है वह निम्नलिख़ित है :

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :

''अल्लाह तआला को जितना नेक अमल ज़ुलहिज़्ज़ा के पहले दस दिनों में पसंन्द है उतना किसी और दिन में नहीं पसन्द है।'' आप से पूछा गया कि : हे अल्लाह के रसूल! अल्लाह के रास्ते (मार्ग) में ज़िहाद करन भी?

आप ने जवाब दिया : ''हाँ, अल्लाह के रास्ते (मार्ग) में ज़िहाद करन भी, मगर यह कि मनुष्य अल्लाह के मार्ग में अपनी जान व माल के साथ निकले और कुछ भी लेकर वापस न लौटे।'' (अर्थात लड़ते लड़ते शहीद हो जाए।)

(सहीह बुख़ारी, हदिस संख्या : 969, तिर्मिज़ी, हदिस संख्या : 757).

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :

''अल्लाह के निकट इन दस दिनों से अधिक महान तथा इन में अमले सालेह करने से अधिक पसन्दीदा कोई और दिन नहीं, अतः इन दिनों में अधिक से अधिक ला–इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर और अल्हम्दुलिल्लाह कहो।'' (इसे तबरानी ने मोजमुल कबीर में रिवायत किया है)

ज़ुलहिज्ज़ा के दस दिनों में नेक कार्य करने की प्रतिष्ठा और फ़ज़ीलत का कारण क्या है? इस संबंध में विद्वानों ने विभिन्न कारणों का वर्णन किया है, परन्तु उसकी वास्तविकता अल्लाह तआला ही जानता है। इसलिए हमारे लिए उचित है कि इसकी फ़जीलत पर विशवास रखने के साथ इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेक़ और अच्छे कार्य करें। क्योंकि इसकी फ़जीलत सही हदीस से प्रमाणित है।

अरफ़ा के रोजे की फजीलत :

ज़ुलहिज़्ज़ा की नौवीं तारीख़ को ''अरफ़ा'' के नाम से जाना जाता है। इस दिन हाजी लोग ''अरफ़ात'' के मैदान में ठहरते हैं, अर्थात : सुबह से ले कर सूरज़ डूबने तक वहॉ पर रहते हैं,

और अल्लाह से खूब दूआयें करते हैं। हाजियों के लिए उस दिन का रोजा रख़ना गैर मुसतहब है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उस दिन हाजी के लिए रोजा रख़ना साबित नहीं है। लेकिन गैर हाजियों के लिए उस दिन रोज़ा रख़ना बहुत ही प्रतिष्ठा का काम है।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :

''अरफ़ा के दिन रोज़ा रख़ने से मुझे अल्लाह से आशा है कि वह पिछले और अगले (दो) वर्षों के गुनाहों को क्षमा कर देगा।''

(तिरमिज़ी, हदीस : 749)

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान गैर हाज़ियों के लिए है। क्योंकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हज्ज किया, आप ने अरफ़ा के दिन रोज़ा नहीं रख़ा, अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज्ज किया उन्हों ने रोजा नहीं रख़ा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज्ज किया, उन्हों ने रोजा नहीं रख़ा, उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हज़्ज़ किया, उन्हों ने भी रोजा नहीं रखा, और मैं भी इस दिन अरफ़ा में रोजा नहीं रख़ता हूँ, और न ही उसका किसी को आदेश देता हूँ, और न ही उससे रोकता हूँ।''

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल

उपर्युक्त हदीस पर अमल करते हुऐ, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़ुलहिज्जा के पहले दस दिनों में बहुत अभिरूचि के साथ नेक कार्य, इबादात और नवाफ़िल का एहतिमाम करते थे।

चुनाँचे इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम का यह अमल था कि वे इन दस दिनों में बाज़ार जाते और तेज़ आवाज़ में तकबीरें पढ़ते थे, उन्हें देख़ कर दोसरे लोग भी तकबीरें पढ़ने लगते थे।'' (सहीह बुखारी)

सईद बिन जुबैर के संबंध में आता है कि वह ज़ुलहिज्जा के दस दिनों में नेक कार्यों में बहुत परिश्रम और संघर्ष करते थे। (बैहक़ी, अत्तरगीब वत–तरहीब 2/198)

तकबीरों का मसअला

सहीह बुख़ारी के उपर्युक्त असर से यह बात स्पष्ट है कि ज़ुलहिज़्जा के दस दिनों में जहाँ नेकी के दोसरे कार्य बहुत अभिरूचि और ध्यान से किया जाएं, वहीं पर तक़बीरों का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करने की आवश्यकता है।

हामारे यहाँ यह परम्परा है कि नौ ज़ुलहिज़्जा को फ़ज्र की नमाज़ से तक़बीरों का पढ़ना आरंभ किया जाता है, और हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है और यह सिलसिला तेरह ज़ुलहिज़्जा की अस्र की नमाज़ तक़ चलता है। और यह तक़बीरें निम्नलिखित श्ब्दों के साथ पढ़ी जाती हैं :

"अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला–इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, वलिल्लाहिल हम्द"

यह परम्परा और तक़बीर के श्ब्द सुनन दाराकुतनी (किताबुल ईदैन) की एक रिवायत में वर्णन हुआ है, लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ होने के कारण तर्क स्थापित करने के योग्य नहीं है, लेकिन फ़िर भी अली और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक सहीह असर से यह बात सिद्ध होती है कि अरफा की सुबह से ले कर अय्यामे तश्रीक़ (11,12,13 ज़ुलहिज़्जा) के अंत तक तक़बीरें पढ़ी जायें। (फ़त्हुलबारी)

इसलिए तक़बीरें तेरह (13) ज़ुलहिज्जा के अस्र की नमाज़ तक पढ़ना चाहिऐ, और यह मात्र नमाज़ों के बाद ही न पढ़ी जाए बल्कि दूसरे अन्य औक़ात में भी इसके पढ़ने का एहतिमाम किया जाए।

इसी प्रकार तक़बीर के उपर्युक्त शब्द अगरचे सही हदीस से साबित नहीं हैं, परन्तु उमर और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित असर से साबित है, इसलिए यह तकबीर भी पढ़ी ज़ा सकती है। परन्तु हाफ़िज़ इब्ने हजर ने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित तक़बीर के इन शब्दों :

"अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर कबीरा"

को सबसे सही क़रार दिया है। (फत्हुल बारी, किताबुल ईदैन, हदीस 2/595)

कुर्बानी की नीयत (इरादा) रख़ने वाला जुलहिज्जा के दस दिनों में बाल आदि न कटवाए :

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जब तुम जुलहिज्जा का चाँद देख लो, और तुम में से कोई व्यक्ति कुर्बानी करने का इरादा रख़ता हो, तो वह अपने बाल और नाखून न काटे।" (सहीह मुस्लिम, हदीस संख्या : 1977)

इस हदीस से यह बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि कुर्बानी की नीयत रख़ने वाले व्यक्ति को बाल बनवानने और नाखून कटाने से बचना चाहिए।

एक हदीस में यह है कि एक आदमी ने कुर्बानी करने की ताक़त न रख़ने का वर्णन किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस आदमी से फ़रमाया कि तुम दस ज़ुलहिज्जा को अपने बाल बनवा लेना, नाखून काट लेना, मूँछें बनवा लेना और नाफ़ के नीचे का बाल साफ कर लेना, यही अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुर्बानी है। (सुनन अबी दाऊद, किताबुल उज़्हिया, हदीस : 2788)

इस हदीस की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि कुर्बानी की ताकत न रख़ने वाला आदमी अगर ज़ुलहिज्जा के दस दिनों में हजामत वगैरा न कराए, और दस ज़ुलहिज्जा को ईदुल अज़हा के दिन हजामत वगैरा कर ले, तो उसे भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, लेकिन यह हदीस सनद के एतिबार से ज़ईफ़ (कमज़ोर) है।

चुनाँचे अल्लामा अल्बानी ने इस हदीस को ज़ईफ़ अबू दाऊद में वर्णन किया है, इस लिए यह हदीस सही नहीं है और न ही इससे किसी मसअले को साबित किया जा सकता है।

अतः ज़ुलहिज्जा के दस दिनों में हजामत न करवाने का आदेश केवल उस आदमी के लिए है जो कुर्बानी करने की नीयत कर चुका हो, या वह जानवर ख़रीद चुका हो, या कुर्बानी की नीयत

से उसने जानवर पाल रखा हो, तो ऐसे लोग जुलहिज्जा के दस दिनों में बाल और नाखून वगैरा न कटायें।